राजस्थान सरकार
निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान, जयपुर

क्रमाक : चि.प्र/BMW/2018/0019. दिनांक 22.01.2019.

समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी,
राजस्थान।

विषयः– चिकित्सा संस्थानों पर बायो मेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट नियम–2016 एवं संशोधित नियम–2018 की अनुपालना के क्रम में।

संदर्भः–इस कार्यालय के पत्र क्रमांक/चि.प्र./बीएमडब्लयू/2018/70 दिनांक 30.04.2018 व क्रमांक/चि.प्र./बीएमडब्लयू/2018/81 दिनांक 07.05.2018 व क्रमांक/चि.प्र./बीएमडब्लयू/2018/335 दिनांक 24.12.2018 की निरंतरता के क्रम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि बायो मेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट नियम–2016 एवं संशोधित नियम 2018 की अनुपालना में अद्योलिखित बिन्दूओं की पालना करवाना सुनिश्चित करे।

1. चिकित्सा संस्थान का नियत समय पर प्रदूषण नियंत्रण मण्डल में पंजीकरण करवायें तथा समयावधि समाप्ति के 120 दिन पूर्व नवीनीकरण करवाने हेतु प्रदूषण नियंत्रण मण्डल को आवेदन प्रस्तुत करना सुनिश्चित करे।
2. सेवा प्रदाता कम्पनी (सीटीएफ) से अनुबंध कर संस्थान में उत्पन्न बायो मेडिकल वेस्ट का नियमानुसार निस्तारण करवायें।
3. चिकित्सा संस्थान पर बायो मेडिकल वेस्ट से संबंधित कार्मिकों को नियमित रूप से प्रशिक्षण दिया जायें।
4. चिकित्सा संस्थानों पर लेबोरेट्री, लेबर रूम, ऑपरेशन थियेटर, वार्ड, आपातकालीन कक्ष, स्टोर, ओपीडी, सुविधाऐं व अन्य स्थानों पर नियमानुसार लाल, पीला, सफेद (पंचर प्रूफ, लीक प्रुफ), नीला मार्किंग कंटेनर (पंचर प्रूफ, लीक प्रुफ) प्लास्टिक बिन्स रखवाये जाऐ।
5. बायो मेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट नियम–2016 एवं संशोधित नियम 2018 में वर्णितानुसार बायो मेडिकल वेस्ट का संग्रहण प्लास्टिक बिन्स में निम्न प्रकार से करवाना सुनिश्चित करेः–
   (अ) पीलाः–संक्रमित वस्तुऐं, मानवीय अंग, रक्त से सनी हुई वस्तुए जैसे पट्टी, प्लास्टर, कपडा, अवधीपार दवाईया इत्यादि।
   (ब) लालः–प्लास्टिक बैग, प्लास्टिक बोतल, ट्यूब्स, कैथेटर, सिरिंज इत्यादि।
   (स) नीलाः–कॉच या कॉच की वस्तुऐं जैसे–कॉच की बोतल, दवाई की शीशी, एम्पुल्स इत्यादि।
   (द) सफेदः–नोकदार धातु जैसे– सूईयॉ, स्काल्पेल, ब्लैड या अन्य कोई नोकदार वस्तुऐं इत्यादि।
   (य) कालाः–म्यूनिस्पिलिटी प्रकार का कचरा, कागज, भोजन, व अन्य सामान्य कचरा इत्यादि।

   नोटः–यह ध्यान रखे कि पूर्व में बायो मेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट नियम–2016 के अन्तर्गत जो कॉच के आईटम थे उन्हें कार्ड बोर्ड में रखे जाने का प्रावधान था लेकिन संशोधित नियम – 2018 के अन्तर्गत कार्ड बोर्ड के स्थान पर पंचर प्रूफ, नीले निशान वाले कन्टेनर में रखवाना सुनिश्चित करें।
6. प्लास्टिक बिन्स में बिन्स के अनुरूप रंग वाली थैलियों का ही प्रयोग किया जावें।
7. संक्रमित बायो वेस्ट मुख्य रूप से लेबोरेट्री वेस्ट (बल्ड बैग्स, बल्ड सेम्पल, कल्चर डिस्क, कल्चर प्लेट, लैब कल्चर व अन्य) को बायो मेडिकल वेस्ट मैनेजमेन्ट रूल्स–2016 एवं संशोधित नियम–2018 में वर्णितानुसार प्री–ट्रीटमेन्ट हायपोक्लोराइड सोल्युशन/ऑटोक्लेव करके ही निस्तारण करवाना सुनिश्चित करें।

22/1/19

8. संस्थान में उत्पन्न होने वाले कचरे को पृथक–पृथक रखा जावे, किसी भी परिस्थिति में एक दूसरे के साथ (मिक्स) नही किया जावें।
9. बिन्स में क्लोरिनेटेड बैग का उपयोग करना वर्जित है।
10. संस्थान में बायो मेडिकल वेस्ट से संबंधित कार्मिको का आवश्यकतानुसार टीकाकरण करवाया जावें।
11. संस्थान में बायो मेडिकल वेस्ट से संबंधित कार्मिको को सुरक्षा उपकरण (ग्लव्ज, बूट, मॉस्क इत्यादि) उपलब्ध करवाया जायें।
12. सेवा प्रदाता कंपनी द्वारा कचरे का निस्तारण प्रतिदिन करवाना सुनिश्चित करें, किसी भी परिस्थिति में 48 घंण्टे से ज्यादा समय तक कचरे का संग्रहण नहीं किया जाये, यदि किसी विशेष परिस्थिति में अगर ऐसा होता तो बायो मेडिकल वेस्ट रूल्स 2016 एवं संशोधित नियम 2018 की पालना करना सुनिश्चित करें।
13. सेवा प्रदाता कम्पनी द्वारा नियमित कचरा निस्तारण नहीं किया जाता है तो इसकी लिखित में सूचना स्थानीय निकाय व सेवा प्रदाता को पत्र के माध्यम से देना सुनिश्चत करें।
14. चिकित्सा संस्थानो पर उत्पन्न कचरे के भार (वजन) की सूचना लोग बुक में रंग अनुसार (लाल, पीला, काला, सफेद) प्रतिदिन इन्द्राज किया जाना सुनिश्चित करें।
15. बायो मेडिकल वेस्ट के मैनेजमेन्ट नियम 2016 के अन्तर्गत चिकित्सा संस्थानों पर दुर्घटना यथा पारे/ब्लड के फैलने पर चद्दर, तकिया, कम्बल इत्यादि को (हाइपोक्लोराइड सोल्युशन से) असंक्रमित कर एवं धुलाई करवाकर ही रोगी को दिया जाना चाहिए।
16. प्रत्येक चिकित्सा संस्थान बायो मेडिकल वेस्ट अधिनियम के नियम 13 की पालना हेतु प्रतिवर्ष 30 जुन तक वार्षिक रिपोर्ट प्रपत्र– **iv** में भरकर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को भिजवाना सुनिश्चित करें।
17. चिकित्सा संस्थानों पर कचरे के पृथक से संग्रहण हेतु स्टोरेज कक्ष (लाल, पीला, काला, सफेद) की व्यवस्था की जावे एवं कक्ष के बाहर बायो हैजार्ड चिन्ह का प्रदर्शन किया जावें। संग्रहण कक्ष का चुनाव इस प्रकार से किया जावे कि सेवा प्रदाता के वाहन का सुगमता से आवागमन संभव हो। संग्रहण कक्ष को सुरक्षा की दृष्टि से **'लॉक एण्ड की'** में रखा जायें।
18. सेवा प्रदाता कंपनी द्वारा बायो वेस्ट को मिक्स नहीं किया जावे एवं बायो वेस्ट का परिवहन बंद वाहन द्वारा करवाया जाना सुनिश्चित करें।
19. यदि सेवा प्रदाता कम्पनी की सुविधा जिलें में उपलब्ध नहीं है, तो चिकित्सा संस्थान पर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से समन्वय स्थापित करते हुए ब्यूरियल पिट्स के माध्यम से निस्तारण करवाया जायें।
20. 30 या 30 से अधिक बैड क्षमता वाले चिकित्सा संस्थानो पर स्थानीय कमेटी का गठन किया जाना चाहिए । जिसमें मेडिकल सुपरीटेन्डेन्ट/नोडल ऑफिसर, नर्सिग सुपरीटेन्डेन्ट, स्टोर इन्चार्ज अन्य नर्सिंग कर्मी इत्यादि इसके सदस्य है, जो कि संस्था पर नियमित रूप से बायोमेडिकल वेस्ट अधिनियम की पालना के संदर्भ में कार्य करेगें।
21. प्रत्येक संस्थान पर बायो मेडिकल वेस्ट मैनेजमेन्ट नियम 2016 एवं संशोधित नियम 2018 की प्रति उपलब्ध होना आवश्यक है। उक्त नियमो की प्रति विभागीय वेब साइट से डाउनलोड की जा सकती है।
22. प्रत्येक चिकित्सा संस्थान प्रतिवर्ष एक्सीडेंट रिपोर्ट प्रपत्र–1 व वार्षिक रिपोर्ट (जनवरी से दिसम्बर) प्रपत्र–4 के माध्यम से प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को भिजवाना सुनिश्चित करें। (संलग्नः–प्रपत्र)
23. प्रदूषण नियंत्रण मण्डल द्वारा जारी ऑथोराईजेशन की प्रति (संबंधित चिकित्सा संस्थान के किये गये पंजीकरण की प्रति) संस्था अधिकारी प्रभारी के कक्ष में प्रदर्शित करवायें।

निदेशक (जन स्वा0)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान जयपुर

क्रमाक : चि.प्र / बीएमडब्ल्यू / 2018 / 0019 दिनांक 22.01.2019.

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, अति0 मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राज0 जयपुर।
2. निजी सचिव, सदस्य सचिव राजस्थान राज्य प्रदुषण नियंत्रण मण्डल राज0 जयपुर।
3. निजी सचिव, निदेशक (जनस्वास्थ्य), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राज0 जयपुर।
4. निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव, पर्यावरण विभाग राज0 जयपुर।
5. समस्त संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन–राजस्थान।
6. प्रभारी, सर्वर रूम, मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त पत्र को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड व मेल करवाना सुनिश्चित करें
7. रक्षित पत्रावली।

निदेशक (जन स्वा0)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान जयपुर